(52)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2110–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2016 पारित द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 104/अ–70/2015–16.

नारायण तिवारी पुत्र श्री रामभजन तिवारी
निवासी ग्राम मुण्डहा तहसील मउगंज
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती शिवासिंह पत्नी स्व0 श्री राकेशसिंह
निवासी गुलाब नगर समान, रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

———— अनावेदक

....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ट, अभिभाषक अनावेदक

....

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 06/04/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की 50 के अन्तर्गत तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 104/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24–6–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका द्वारा संहितहा की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया गया था जिसमें आवेदक द्वारा जबरन निर्माण कार्य

करने के तथ्य प्रकट किये गये थे। तहसील न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश दिनांक 24–6–16 के द्वारा प्रकरण के निराकरण तक निर्माण कार्य कोई पक्ष निर्माण न करने के निर्देश दिये हैं। दिनांक 30–12–2011 को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 में हुये नवीन संशोधन अनुसार राजस्व अधिकारी तीन मास की कालावधि से अधिक समय के लिए स्थगन आदेश जारी नहीं करना प्रावधानित हुआ है। तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 24–6–16 को प्रकरण के निराकरण तक निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिये हैं जिसे विधिअनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अतः तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 24–6–16 निरस्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण तहसीलदार हुजूर के समक्ष लंबित है और वहां दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार हुजूर को वापस भेजा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर